तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
21-8-25	पत्रावली पेश हुई वकील वादी बहस हेतु अवसर चाहते है। अवसर दिया जाता है। पत्रावली वास्ते बहस मे दिनांक 25-8-25 को पेश हो।
25-8-25	पत्रावली पेश हुई वकील वादी उपस्थित प्रकरण मे वकील वादी बहस हेतु अवसर चाहते है। पत्रावली वास्ते बहस मे दिनांक 4-9-25 को पेश हो।
4-9-25	पत्रावली पेश हुई वकील वादी उपस्थित प्रकरण मे वकील वादी बहस हेतु अवसर चाहते है। अवसर दिया जाता है। पत्रावली वास्ते 16-9-25 को पेश हो।
13-9-25	पत्रावली पेश हुई वकील वादी उपस्थित प्रकरण मे वकील वादी बहस हेतु अवसर चाहते है। अवसर दिया जाता है। पत्रावली वास्ते बहस मे दिनांक 23-9-25 को पेश हो।
23-9-25	पत्रावली पेश हुई वकील वादी उपस्थित प्रकरण मे वकील वादी की एक तरफा बहस सुनी गई पत्रावली वास्ते आदेश मे दिनांक 30-9-25 को पेश हो।
30-9-25	पत्रावली पेश हुई वकील वादी उपस्थित प्रकरण मे कार्य व्यस्तता अधिक होने से आदेश नही लिखा जा सका पत्रावली वास्ते आदेश मे दिनांक 14-10-25 को पेश हो।
14-10-25	पत्रावली पेश हुई वकील वादी उपस्थित प्रकरण मे वकील वादी की एक तरफा बहस सुनी गई वादी का वाद स्वीकार किया जाता है। विस्तृत आदेश पृथक से लिखा जाकर शामील पत्रावली किया गया डिक्री की प्रति तहसील दार बेगू को पालनार्थ दी जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर रजिस्टर से कम हो।

न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगूँ जिला चितौडगढ़ (राज0)
पीठासीन अधिकारी अंकित सामरिया आर.ए.एस.

दावा संख्या:— 157 / 2015

1. हीरालाल पिता मांगीलाल कुमावत निवासी बिछोर तह0 बेगूँ
2. श्यामलाल पिता भारमल कुमावत निवासी बिछोर तह0 बेगूँ
3. धन्ना पिता भारमल कुमावत निवासी बिछोर तह0 बेगूँ
4. बाली पिता भारमल कुमावत निवासी बिछोर तह0 बेगूँ
5. तुलसीबाई पत्नी भारमल कुमावत निवासी बिछोर तह0 बेगूँ
6. मांगीबाई पत्नी भूरा कुमावत निवासी बिछोर तह0 बेगूँ
7. नगजीराम पिता गोंकल कुमावत निवासी बिछोर तह0 बेगूँ
8. अम्बालाल पिता हजारी कुमावत निवासी बिछोर तह0 बेगूँ
9. गंगाबाई पिता हजारी कुमावत निवासी बिछोर तह0 बेगूँ
10. प्यारी पिता हजारी कुमावत निवासी बिछोर तह0 बेगूँ
11. काना पिता जीतू कुमावत निवासी बिछोर तह0 बेगूँ
12. लादू पिता उदयराम कुमावत निवासी बिछोर तह0 बेगूँ
13. गीता पिता उदयराम कुमावत निवासी बिछोर तह0 बेगूँ
14. कमला पिता नंदा कुमावत निवासी बिछोर तह0 बेगूँ
15. शान्ति पिता नंदा कुमावत निवासी बिछोर तह0 बेगूँ
16. प्यारी बेवा खेमा कुमावत निवासी बिछोर तह0 बेगूँ
17. अनोपी पिता खेमा कुमावत निवासी बिछोर तह0 बेगूँ
18. देवीलाल पिता डालू कुमावत निवासी बिछोर तह0 बेगूँ
19. हीरा पिता डालू कुमावत निवासी बिछोर तह0 बेगूँ
20. प्रेम पिता डालू कुमावत निवासी बिछोर तह0 बेगूँ
21. लाली पिता डालु कुमावत निवासी बिछोर तह0 बेगूँ

वादीगण

बनाम

1. घीसा पिता मोडा कुमावत निवासी बिछोर तह0 बेगूँ के बजाय :—
   1/1— रामलाल पिता घीसा कुमावत निवासी बिछोर तह0 बेगूँ
   1/2— सीता पिता घीसा कुमावत निवासी बिछोर तह0 बेगूँ
2. प्यारा पिता मोडा कुमावत निवासी बिछोर तह0 बेगूँ
3. बंशीलाल पिता घीसा कुमावत निवासी बिछोर तह0 बेगूँ
4. देवीलाल पिता मोहनपलाल कुमावत निवासी बिछोर तह0 बेगूँ
5. दुर्गा पत्नी देबीलाल कुमावत निवासी बिछोर तह0 बेगूँ
6. संतोषबाई पत्नी भँवरलाल कुमावत निवासी बिछोर तह0 बेगूँ
7. शाखा प्रबंधक बैंक ऑफ बडौदा शाखा पारसोली तह0 बेगूँ
8. शाखा प्रबंधक बैंक ऑफ बडौदा शाखा सामरियाकला तह0 बेगूँ
9. राजस्थान राज्य जरिये जिला कलक्टर महोदय जी , चितौडगढ़
10. श्रीमान भूमिधारी जी तहसीलदार साहब बेगूँ तहसील कार्यालय, बेगूँ

प्रतिवादीगण

उपस्थित ::— श्री कैलाशचन्द्र मंत्री
अधिवक्ता वादीगण

निर्णय दिनांक :— 14.10.2025

निर्णय वादपत्र अन्तर्गत धारा 88—188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

वादपत्र इस प्रकार से है कि ग्राम शंभुपुरा पटवार हल्का बिछोर की निम्नलिखित आराजीयात वर्तमान में प्रतिवादी सं0 1 व 2 के ना दर्ज रेकार्ड है जो वादीगण एवं प्रतिवादीगण सं0 3 व 4 के कब्जे काश्त में है:—

ाजी संख्या	रकबा हैक्टर में
44	1.4800
2212/445	0.7700
2210/445	1.5700
446	1.3400

कीता– 4 कुल रकबा 5.1600 हैक्टर

आराजी संख्या 2212/445 एवं 2210/445 मूल आराजी संख्या 445 रकबा 2.34 हैक्टर के भाग होकर प्रतिवादी सं0 1 व 2 ने जरिये सहमति विभाजन पृथक पृथक दर्ज कराई है।

यह कि वादीगण एवं प्रतिवादी सं0 3 व 4 के परिवार का सजरा निम्न प्रकार है :–

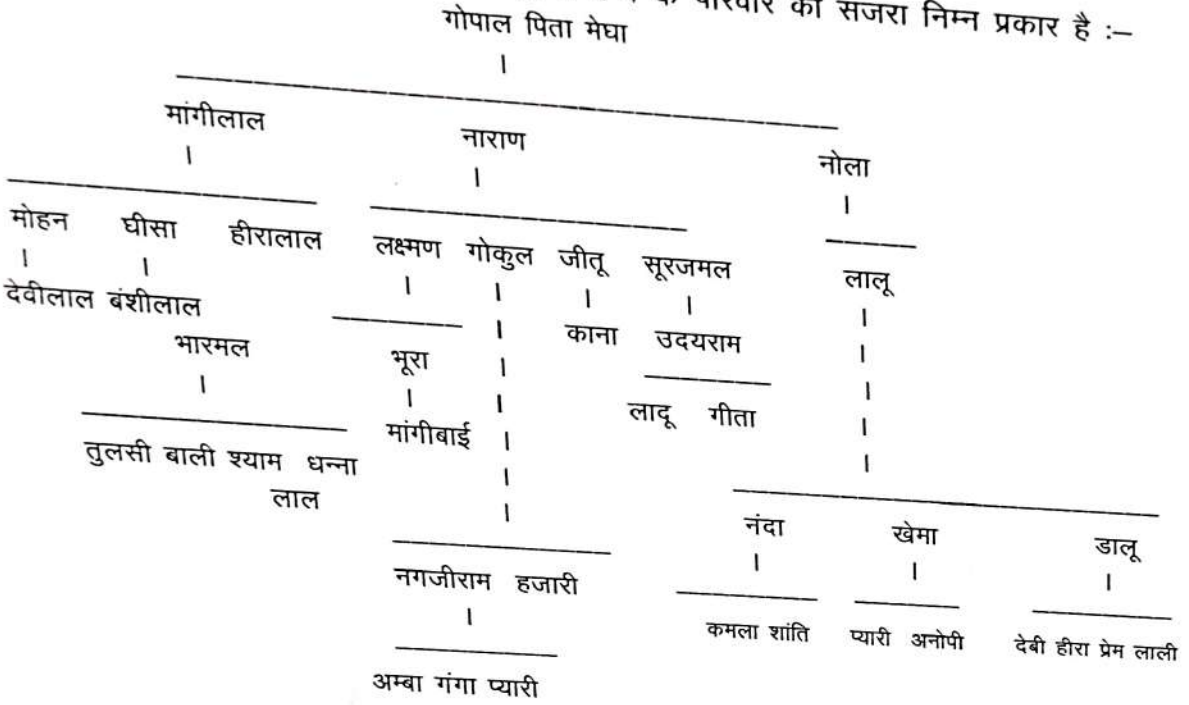

यह कि उक्त कलम सं0 1 में वर्णित आराजीयात भू प्रबंध पूर्व की मौजा भिछोर प0ह0 भिचोर की आराजी संख्या 1016 रकबा 1 बीघा 02 बिस्वा , 1015 रकबा 11 बिस्वा, 1020 रकबा 3 बीघा 03 बिस्वा, 1022 रकबा 1बीघा 02 बिस्वा एवं 1023 रकबा 18 बीघा 13 बिस्वा से भू प्रबंध पश्चात बनी है, यह नया पुराना नक्शा ट्रेस के मिलान से स्पष्ट है।

यह कि मौजा भिछोर जिसका वर्तमान नाम बिछोर हो चुका है से शंभुपुरा के नाम से नया राजस्व ग्राम बाद में बना जिससे उक्त आराजी ग्राम भिछोर के स्थान पर वर्तमान में ग्राम शंभुपुरा में अंकित स्थित है। यह कि कलम संख्या 1 में वर्णित आराजीयात वादीगण के पितामह गोपाल पिता मेघा जी कुमावत के समय से यानि ग्वालियर स्टेट के समय से उनके कब्जे काश्त में व उनकी मृत्यु पश्चात हम वादीगण के कब्जे काश्त में चली आ रही है।

यह कि भू प्रबंध विभाग एवं ग्वालियर स्टेट जब राजस्थान में परिवर्तित हुआ उक्त भूमि राजस्व कर्मचारियो एवं भू पंबंध विभाग की गलती से प्रतिवादी सं0 1 व 2 के नाम दर्ज रेंकार्ड कर दी गयी जबकि ग्वालियर स्टेट से भिछोर ग्राम जब राजस्थान में परिवर्तित हुआ एवं टिनेन्सी एक्ट बना उस समय मौके पर काबिज काश्त कृषक को खातेदारी अधिकार स्वतः प्रदान किये जाने के प्रावचधान थे, जिससे उक्त भूमि अर्सा कदीम से वादीगण के पूर्वजो के कब्जे काश्त में होने से वादीगण के पूर्वजो व उनके बाद वादीगण के नाम दर्ज रेकार्ड होना चाहिए थी जो नहीं की गयी व प्रतिवादी सं9 1 व 2 के नाम अवैध रूप से दर्ज कर दी गयी जबकि प्रतिवादी सं0 1 व 2 का उक्त भूमि से किसी प्रकार का कोई सम्बन्ध नहीं है।

यह कि प्रतिवादीगण भूमि अपने नाम होने का नाजायज लाभ उठाने की दृष्टि से वादीगण को यह कह रहे है कि पैसे देकर भूमि अपने नाम करा लो, भूमि हम वादीगण के अर्सा कदीम से कब्जे काश्त में होने से हम वादीगण ने भूमि नाम कराने का पैसा देने से इंकार कर दिया जबकि प्रतिवादी संख्या 3 व 4 ने अपने हिस्से की भूमि को वादीगण को कुछ पैसा देकर अपने नाम पर करा ली।

यह कि वादीगण एवं प्रतिवादी सं0 3 व 4 के पुश्तैनी स्वामित्व आधिपत्य एवं अर्सा कदीम से कब्जे काश्त की उक्त भूमि को वादीगण अपने नाम बहैसियत खातेदार दर्ज कराने के पूर्ण रूप से कानूनन अधिकारी है, वादीगण ने दिनांक 2.10.2015 को प्रतिवादी सं0 1 व 2 को अंतिम बार भूमि अपने नाम कराने की कार्यवाही बाबत कहा तो उन्होने बिना पैसे भूमि नाम पर नहीं कराने एवं भूमि का कब्जा छीन लेने या भूमि को अन्य को खुर्द बुर्द कर देने की धमकियॉ देने लग गये है, जिससे वादीगण को यह वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण वास्ते घोषणा एवं निषेधाज्ञा प्रस्तुत करने की आवश्यकता हुई है।

यह कि प्रतिवादी सं0 3 व 4 हम वादीगण के साथ उक्त भूमि पर पुश्तैनी तौर पर काबिज व्यक्ति होकर हमारे साथ वादीगण बनने से इंकार किये जाने से उन्हें प्रतिवादी स0 3 व 4 बनाया गया है साथ ही प्रतिवादी सं0 4 ने अपनी पत्नी प्रतिवादी सं0 5 के नाम भूमि हस्तान्तरण विलेख निष्पादित करवाया है जो वर्तमान मे सह खातेदार हो चुकी है जिससे उन्हें प्रतिवादी सं0 5 बनाया गया है, प्रतिवादी सं0 6 ने आराजी संख्या 446 मे से रकबा 0.04 हैक्टर भूमि का बोगस विक्रय निष्पादित एवं पंजीयन अपने नाम से करावाया है जिससे उन्हें प्रतिवादी सं0 6 बनाया गया है प्रतिवादी सं0 7 व 8 ने उक्त भूमि पर ऋण दे रखा है एवं बतौर रहनगृहिता दर्ज होनें से उन्हें पक्षकार बनाया गया है व प्रतिवादी सं0 9 व 10 राजस्व आराजीयात की घोषणा के वाद में आवश्यक पक्षकार होने से उन्हें पक्षकार बनाया गया।

यह कि उक्त कलम सं0 1 में वर्णित आराजीयात वादीगण एवं प्रतिवादी सं0 3 व 4 की पुश्तैनी स्वामित्व आधिपत्य की आराजीयात होने से एवं प्रतिवादी सं0 1 व 2 का कानूनन भूमि में कोई हक नहीं होने से इनके द्वारा प्रतिवादी सं0 3 5 व 6 के पक्ष में कराये गये विक्रयपत्र वादीगण के विरूद्ध निःष्प्रभावी व प्रारंभतया शुन्य होकर वादीगण के विरूद्ध कोई कानूनी प्रभाव नहीं रखते है।

यह कि उक्त कलम सं0 1 में वर्णित आराजीयात वादीगण के पुश्तैनी अर्सा कदीम से कब्जे काश्त में होकर वादीगण व वादीगण के पूर्वजो ने कभी प्रतिवादी सं0 1 व 2 को इस भूमि का मालिक स्वामी नहीं माना है, जिससे प्रतिकूल कब्जे के आधार पर भी वादीगण भूमि को अपने खातेदारी की होने की घोषणा कराने के अधिकारी है। यह कि उक्त कलम सं0 1 में वर्णित आराजीयात में वादपत्र की कलम सं0 3 में वर्णित सजरानुसार वादी क्रमांक 1 एवं प्रतिवादी सं0 3 व 4 का हिस्सा 1/3 वादी सं0 2 से 13 का हिस्सा 1/3 एवं वादी सं0 14 से 21 का हिस्सा 1/3 अनुसार बनता है एवसं इसी अनुसार घोषणा कराने के अधिकारी है।

यह कि वाद कारण दिनांक 2.10.2015 को प्रतिवादी सं0 1 व 2 द्वारा उक्त आराजीयात को वादीगण की होने बावजूद उनके नाम कराने की कार्यवाही कराने से इंकार कर देने से उत्पन्न होकर हर रोज वर्तमान है। वाद वर्णित आराजीयात न्यायालय श्रीमान के क्षैत्राधिकार में स्थित होने से वाद श्रवणाधिकार न्यायालय श्रीमान को प्राप्त है।

यह कि वाद राजस्व आराजीयात की घोषणा का वाद अवधि बाधित नहीं होने से वाद वादीगण अन्दर अवधि प्रस्तुत है।

यह कि वादीगण न्यायालय श्रीमान से निम्नलिखित अनुतोष की प्रार्थना करते है :—

(अ) कि पक्ष वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की घोषणात्मक आज्ञप्ति प्रदान की जावे कि कलम सं0 1 में वग्रित आराजीयात वादी क्रमांक 1 एवं प्रतिवादी सं0 3 व 4 का हिस्सा 1/3 वादी सं0 2 से 13 का हिस्सा 1/3 एवं वादी सं0 14 से 21 का हिस्सा 1/3 अनुसार खातेदारी की होने की घोषणात्मक आज्ञप्ति प्रदान की जावें।

(ब) कि पक्ष वादी विरूद्ध प्रतिवादी सं0 1 व 2 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि वाद पत्र की कलम सं0 1 में वर्णित आराजीयात के वादीगण के शांतिपूर्वक चले आ रहे कब्जे काश्त में किसी तरह की दखलंदाजी न तो स्वयं करे एवं न ही अपने किसी नौकर एजेन्ट रिश्तेदार आदि से करावें।

(स) कि अन्य कोई सहायता जो सुलभ वादीगण हो प्रदान की जावें।

(द) कि खर्चा मुकदमा व वकील मेहनताना वादीगण को प्रतिवादी सं0 1 व 2 से दिलाया जावें।

वादी का वादपत्र न्यायालयय में प्रस्तुत होने पर बाद जॉच दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया, पत्रावली में प्रतिवादी संख्या 1 व 4 की ओर से अधिवक्ता श्री सुरेश चन्द टेंलर ने एवं प्रतिवादी सं 2 व 6 की ओर से अधिवकता श्री भोलेश भट्ट द्वारा अपने अपने अधिकार पत्र दावा पत्रावली में प्रस्तुत कियें। प्रतिवादी संख्या 7, 8, 9 के सम्मन बाद तामील पत्रावली में प्राप्त हुए। दावा पत्रावली में प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 व उनके अधिवक्ता तथा शेष प्रतिवादीगण बावजूद सूचना के दावा पत्रावली में उपस्थित नहीं आने से उनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही के आदेश न्यायालय द्वारा दिये गये।

दावा पत्रावली में मामला एक तरफा का होने से वादी की ओर से साक्ष्य वादी हेतु शपथ पत्र वादी हीरालाल पिता मांगीलाल कुमावत के प्रस्तुत किये गये तथा वादी हीरालाल ने अपने साक्ष्य शपथ पत्र के मुख्यपरीक्षण में दावा पत्रावली मे प्रस्तुत सभी दस्तावेज को प्रदर्श कराया गया तथा एक तरफा प्रकरण होने से जिरह निल रही तथा पुनः परीक्षण निल होकर वादी के बयान कलमबद्ध करा साक्ष्य वादी की दावा पत्रावली में पूर्ण की गई।

प्रकरण में साक्ष्य वादी की पूर्ण होने के पश्चात अधिवक्ता वादी की एक तरफा बहस ध्यानपूर्वक सुनी गई। अधिवक्ता वादी द्वारा अपनी बहस को वाद पत्र के अनुसार ही करते हुए निवेदन किया कि वाद वर्णित कृषि आराजी जो कि ग्वालियर स्टेट की आराजी थी जब ग्वालियर स्टेट राजस्थान में परिवर्तित हुआ उक्त भूमि राजस्व कर्मचारियो एवं भूप्रबध विभाग की गलती से प्रतिवादी सं0 1 व 2 के नाम दर्ज रेकार्ड कर दी गयी जबकि ग्वालियर स्टेट से भिछोर ग्राम जब राजस्थान मे परिवर्तित हुआ एवं टिनेन्सी एक्ट बना उस समय मौके पर काबिज काश्त कृषक को खातेदारी अधिकार स्वतः ही प्रदान किये जाने के प्रावधान थे।

बहस में वाद वर्णित भूमि वादीगण के नाम पर घोषित किये जाने का निवेदन अपनी बहस में अधिवक्ता वादी द्वारा किया गया। बहस अधिवक्ता वादी की एक तरफा सुने जाने के पश्चात दावा पत्रावली में प्रस्तुत सभी प्रदर्श दस्तावेज का गहन अवलोकन हमारे द्वारा किया गया। दस्तावेज के गुणावगुण के आधार पर सभी दस्तावेज का उल्लेख करते हुए निर्णय निम्न प्रकार से किया जाता है।

प्रदर्श–1 नकल जमाबंदी मौजा शंभुपुरा प0ह0 बिछोर सम्वत 2068–71 तक का अवलोकन किया गया जिसमें अंकित आराजी संख्या 446, 447, 448, 2210/445मी., 2211/449मी कीता–5 कुल रकबा 6.06 हैक्टर भूमि के खातेदार श्री घीसा पिता मोडा कुमावत सा.देह खातेदार होकर रहन बैंक ऑफ बडौदा शाखा सामरिया कला ना.सं. 228, 252 अंकित है तथा जमाबंदी में लालस्याही से नोट अंकित किये हुए है कि ना0सं0 369 दिनांक 4.09.2015 द्वारा विकय से आराजी नम्बर 446मी रकबा 1.30 हैक्टर श्री बंशीलाल पिता घीसालाल कुमावत 1/3 सा0 बिछोर घीसा पिता मोडा कुमावत 2/3 सा. देह के नाम दर्ज करने की स्वीकृति हुई। नामा0सं0 370 दिनांक 4.09.2015 द्वारा विकय से आराजी संख्या 446 मी रकबा 1.30 हैक्टर श्रीमती दुर्गादेवी ध0ह0 देवीलाल कुमावत 1/3 वंशीलाल पिता घीसालाल कुमावत 1/3 सा0 बिछोर घीसा पिता मोडा कुमावत 1/3 सा0 देह के नाम दर्ज करने की स्वीकृति हुई। ना0सं0 340 दिनांक 16.06.2014 द्वारा खाता रहन मुक्त करनपे की स्वीकृति हुई। ना0सं0. 345 दिनांक 21.07.2014 द्वारा विकय से आराजी नम्बर 446 रकबा 1.34 हैक्टर मे से नवीन नं0 2217/446 रकबा 0.04 हैक्टर आराजी नं0 4547 रकबा 2.57 मे से 2218/447 रू 0.61 ल 1.51 की 2र 0.65 श्रीमती संतोष बाई पत्नि भंवरलाल कुमावत सा0 बिछोर के नाम दर्ज करने की स्वीकृति हुई। 446 मी. रकबा 1.30 हैक्टर 447 मी रकबा 1.96 हैक्टर बदस्तूर रहा। आराजी नम्बर 444, 450, 451, 452, 2212/445, 2213/449 कीता–6 कुल रकबा 4.07 हैक्टर भूमि श्री प्यारा पिता मोडा कुमावत सा0 बिछोर खातेदार रहन बैंक आफ बडौदा शाखा पारसोली ना.सं. 228, 243,277 दर्ज अंकित होकर लालस्याही से नोट अंकित है कि ना0सं0 330 दिनांक 30.09.2013 द्वारा खाता पुनः बैंक आफ बडौदा शाखा पारसोली के रहन दर्ज करने की

कृति हुई। इस जमाबंदी के अवलोकन से पाया कि वर्णित कृषि आराजी प्रतिवादी सं0 1 व प्रतिवादी सं0 2 के खातेदारी की कृषि आराजी दर्ज होकर आराजी का विक्रय भी किया गया है।

प्रदर्श– 2 नकल जमाबंदी मौजा शंभुपुरा प0ह0 बिछोर की सम्वत 2064 से 67 की है जिसमें अंकित आराजी संख्या 444, 445, 446, 442, 448, 449, 450, 451, 152 कीता–9 कुल रकबा 12.13 हैक्टर भूमि के खातेदार श्री घीसा प्यारा पिता मोडा कुमावत सा0देह दर्ज अंकित है। साथ ही नामा0सां0 228 दिनांक 11.02.2008 से वर्णित आराजी का विभाजन घीसा एवं प्यारा के मध्य किया जाकर अलग अलग आराजी अंकित की गई है। यानि वाद वर्णित कृषि आराजी प्रतिवादी सं0 1 व 2 के नाम पर दर्ज है।

प्रदर्श– 3 भू–प्रबंध विभाग राजस्थान लैण्ड के नियम 26 के अन्तर्गत जमावंदी ग्राम भीचोर की सम्वत 2028 की है जिसमें दर्ज आराजी संख्या 444, 445, 446, 447, 448, 671687, 691, 692, 693, 694, 1367, 1372, 1384 कीता–14 कुल रकबा 76बीघा 19 बिस्वा भूमि के खातेदार घीसा प्यारा पिता मोडा कुमावत दर्ज अंकित है।

प्रदर्श–4 नकल भू–प्रबंध सेटलमेन्ट विभाग के खसरे की नकल है जिनमें गत आराजी नम्बर एवं वर्तमान आराजी नम्बरान का अंकन है, नकल में गत आराजी नम्बर 1021मी के नवीन आराजी नम्बर 444 बने होकर रकबा 9बीघा 3 बिस्वा दर्ज है तथा नकल के कालम नम्बर 23 व 24 यानि गत भूमाप के कृषक एवं वर्तमान कृषक के नाम में लालू वल्द नोला मागू वल्द गोपाल कुमावत का नाम लिखा गया है जिसे काटाजाकर घीसा व प्यारा पिता मोडा कुमावत का नाम अंकित किया है, यह सेटलमेंन्ट विभाग द्वारा किया गया है लेकिन किस कारण से नाम काटा गया है इसका कही कोई विवरण विशेष कॉलम में अंकित नहीं किया गया है। इसी प्रकार गत आराजी नम्बर 1023 जिसके नवीन आराजी नम्बर 445 बने होकर रकबा 14बीघा 9बिस्वा है तथा गत आराजी संख्या 1023 से ही नवीन आराजी संख्या 446 रकबा 8बीघा 6 बिस्वा बने है जिसके गतभूमाप के कृषक व वर्तमान कृषक के कॉलम में लाला वल्द नोला 1/3,मांगू वल्द गोपाल 1/3, गोकल जीतू पिता नाराण भारमल भूरा पिता लक्ष्मण व अन्य कृषको के नाम लिखे जाकर काटे गये तथा कॉलम नम्बर 25 में घीसा प्यारा पिता मोडा कुमावत का नाम दर्ज किया गया है। उक्त वर्णित आराजी के खातेदार घीसा व प्यारा किस कारण से दर्ज किये गये है इसका कोई अंकन उक्त नकल में नहीं है।

प्रदर्श–5 नकल भू–प्रबन्ध (सेटलमेन्ट) विभाग की फर्द इख्तलाफ इन्द्राज खसरा यानि खसरा परिशोधन पत्र की नकल है जो ग्राम भिचोर की है जिसमें दर्ज आराजी संख्या 445, 446, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760 का अंकन है तथा नाम कृषक के कॉलम में लाला वल्द नोंला मांगू वल्द गोपाल हि.1/3 जीतू गोकल पिता नाराण भारमल भूरा पिता लक्ष्मण उदा वल्द सूरजमल 1/3कुमावत दर्ज है। इस नकल के कॉलम नं0 7 विशेष विवरण में एक रिपोर्ट अंकित है जो निम्न प्रकार से है " महोदय जी खातेदार लाला वल्द नोला नारायण मांगीलाल गोपाल के नाम दर्ज है श्री लाला मांगीलाल मौजूद है, नारायण का देहान्त हो चुका है, नारायण के चार लडके है, लक्ष्मण गोकल जीतु सूरजमल है जीतु गोकल मौजूद है लक्ष्मण सुरजमल का देहान्त हो चुका है लक्ष्मण के जायन्दा दो लडके भारमल भूरा मौजूद है सुरजमल के जायन्दा एक लडका उदेराम मौजूद है अब नारायण के बजाय जीत गोकल पिता नारायण भारमल भूरा पिता लक्ष्मण उदेराम वल्द सुरजमल के नाम खाते में दर्ज करने हेतु वास्ते मंजुरी के श्रीमान के सेवा में पेंश है।

प्रदर्श–6 नकल खसरा मौजा भिछोर की सम्वत 1993 की नकल है जिसमें गत आराजी नम्बरान के कृषक कृष्णगोपाल वल्द मेघा कुमावत साकिन देह का नाम अंकित किया हुआ है। वादपत्र में दर्शाये गये सजरे के अनुसार गोपाल वल्द मेघा के ही वारिसान का अंकन किया हुआ है जो इस नकल से सिद्ध होता है। प्रदर्श–7 नकल नक्शा किश्तवार ग्राम भीचोर की प्रस्तुत की है तथा प्रदर्श–8 भी किश्तवार नकल नक्शा ग्राम भीचोर की प्रस्तुत की गई है।

प्रदर्श–9 नकल जमाबंदी मौजा भीचोर सम्वत 2035 से 38 की प्रस्तुत की है जिसमें दर्ज आराजी नम्बर 484, 485, 493, 494, 498, 507 के खातेदार श्री लाला पिता किशना कौम कुमावत साकिन देह दर्ज है। पत्रावली में प्रदर्श–10 नकल आदेशिक दिनांक 20.08.1988 से लगायत 11.10.2000तक की सत्यप्रति नकल है जो दावा संख्या 60/88 घीसा बनाम जीतू वगै वाद पत्र

धारा 183 आरटीएक्ट की है, जिसमें अंतिम आदेशिका दिनांक 11.10.2000 में वादी का वादपत्र खारिज किया जाने का आदेश लिखा गया है। प्रदर्श–11 नकल वादपत्र प्रकरण संख्या 60/88 व अनवान घीसा प्यारा बनाम जीतू व अन्य वाद पत्र अन्तर्गत धारा 183 आर टी एक्ट के वाद की नकल है। प्रदर्श–12 नकल वादपत्र बाबत कब्जेयाबी के जवाब दावे की नकल है।

वादपत्र में प्रस्तुत उपरोक्त सभी दस्तावेज का गहन अवलोकन हमारे द्वारा किया गया है। दावा पत्रावली में प्रस्तुत प्रदर्श– 4, प्रदर्श–5 , प्रदर्श–6 एवं प्रदर्श–9 व प्रदर्श–10 तथा प्रदर्श–12 के अवलोकन से पाया जाता है कि वाद वर्णित कृषि आराजी के खातेदार वादीगण के पूर्वज रहे है तथा वादपत्र मे दर्शाये गये सजरे के अनुसार वादीगण वर्तमान में वाद पत्र में अंकित कृषि आराजी मौजा शंभुपुरा प0ह0 बिछोर की आराजी संख्या 444 रकबा1.4800है., 2212/445 रकबा 0.7700है., 2210/445 रकबा 1.5700हैक्टर, 446 रकबा 1.3400 हैक्टर कुल कीता– 4 कुल रकबा 5.1600 हैक्टर के खातेदार है। दस्तावेजी साक्ष्य सबूत के आधार पर वादीगण का वादपत्र स्वीकार किया जाने योग्य पाया जाता है, प्रकरण मे प्रतिवादीगण द्वारा कोई प्रत्युतर वादपत्र का प्रस्तुत नहीं किया है ना ही उपस्थित आये है। प्रतिवादी सं0 1व 2 द्वारा पूर्व में जो दावा बाबत कब्जेयाबी का इस न्यायालय मे प्रस्तुत किया था वह भी खारिज किया गया है यानि प्रारम्भ से वाद वर्णित कृषि भूमि पर कब्जा वादीगण का रहा है तथा वर्तमान में भी कब्जा वादीगण का ही है हिस्सानुसार है, इस प्रकार दस्तावेज प्रमाण से वादीगण का वादपत्र सिद्ध होता है।

अतः वाद वादीगण का अन्तर्गत धारा 88–188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाता है। मौजा शंभुपुरा प0ह0 बिछोर की आराजी संख्या 444 रकबा1.4800है., 2212/445 रकबा 0.7700है., 2210/445रकबा 1.5700हैक्टर, 446 रकबा 1.3400 हैक्टर कुल कीता– 4 कुल रकबा 5.1600 हैक्टर भूमि में वादी कमांक 1 एवं प्रतिवादी सं0 3 व 4 का हिस्सा 1/3 वादी सं0 2 से 13 का हिस्सा 1/3 एवं वादी सं0 14 से 21 का हिस्सा 1/3 अनुसार राजस्व रिकोर्ड में खातेदारी हक से दर्ज किये जाने की घोषणा की जाती है। प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे वादीगण के खातेदारी में घोषित उपरोक्त कृषि आराजीयात में वादीगण के शांति पूर्वक कब्जे काश्त में किसी प्रकार का दखलंदाजी न तो स्वयं करें न किसी अन्य से करावें। वादपत्र डिक्री किया जाता है। डिक्री पत्र पृथक से तैयार किया जाकर डिक्री प्रति तहसीलदार बेगूँ को पालनार्थ दी जावें।

निर्णय आज दिनांक 14.10.2025 को लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

(अंकित सामरिया)
सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)बेगूँ